सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

5 श्रावण, 1944 (श०)

संख्या – 346 राँची, बुधवार, 27 जुलाई, 2022 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

आदेश

10 जून, 2022

आदेश सं०-5/आरोप-1-138/2016 का०- 3580--श्री रंजीत लोहरा, झा०प्र०से० (द्वितीय बैच), तत्कालीन अंचल अधिकारी, ईटखोरी, चतरा के विरूद्ध राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-5340/रा०, दिनांक 29.09.2016 द्वारा आरोप प्रतिवेदित किया गया है कि श्री लोहरा द्वारा स्थानांतरण आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर किया गया है, जिसे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अस्वीकृत किये जाने के बाद भी उनके द्वारा ईटखोरी, चतरा में योगदान नहीं किया गया तथा बिना अवकाश स्वीकृति के ही अवकाश पर प्रस्थान की सूचना दी गई ।

श्री लोहरा के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों को प्रपत्र-'क' में गठित कर उपलब्ध कराने का अनुरोध विभागीय पत्रांक-9860, दिनांक 23.11.2016 एवं स्मार पत्रों द्वारा राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग की गई ।

उक्त के आलोक में राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के पत्रांक 3850, दिनांक 16.11.2021 द्वारा उपायुक्त, चतरा के पत्रांक-806, दिनांक 20.11.2018 द्वारा पूर्व में प्रेषित प्रतिवेदन पत्रांक-695/स्था0, दिनांक 11.10.2018 की प्रति उपलब्ध करायी गयी है, जिसमें उपायुक्त द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि दिनांक 25.10.2016 को अंचल अधिकारी, ईटखोरी के पद पर इनके द्वारा योगदान किया गया। विलंब से योगदान करने के संबंध में श्री लोहरा से स्पष्टीकरण की माँग की गई। इस संबंध में श्री लोहरा द्वारा बताया गया कि शारीरिक अस्वास्थता तथा ईलाज के कारण प्रभार आदान/प्रदान करने में विलंब हुआ एवं समर्पित स्पष्टीकरण के साथ एतद् संबंधी दस्तावेज भी समर्पित किया गया। इससे यह स्पष्ट होता है कि श्री लोहरा द्वारा जानबूझकर अंचल अधिकारी, ईटखोरी का प्रभार ग्रहण करने में विलंब नहीं किया गया था। इस प्रकार श्री लोहरा के विरूद्ध कोई आरोप गठित करना समीचीन प्रतीत नहीं होता है ।

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग एवं उपायुक्त, चतरा से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में श्री लोहरा के विरूद्ध प्रेषित आरोप से संबंधित मामला में निर्णय लिया गया कि प्रशासी विभाग से कोई प्रतिकूल प्रतिवेदन न होने पर इसे 15 दिनों के पश्चात् अंतिम रूप से संचिकास्त कर दिया जाएगा, जिसकी सूचना राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग को विभागीय पत्रांक2828, दिनांक 02.05.2022 द्वारा दी गई ।

उक्त के संबंध में राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि श्री लोहरा के विरूद्ध प्रेषित आरोप से संबंधित मामलों को संचिकास्त करने में राजस्व विभाग को किसी प्रकार का कोई आपत्ति नहीं है ।

अतः राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग से प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में श्री रंजीत लोहरा, झा०प्र०से० (द्वितीय बैच), तत्कालीन अंचल अधिकारी, ईटखोरी, चतरा के विरूद्ध आरोप से संबंधित इस मामले को संचिकास्त किया जाता है ।

रंजीत कुमार लाल,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 346 – 50